(317) (193)

निग० 3597/2018/सतना/भू-रा०

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा संभाग रीवा</u>

<u>(म0प्र0)</u>

बाल्मीक सिंह तनय स्व0 सीताराम सिंह निवासी ग्राम सगौनी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ....**आवेदक / निगराकार**

बनाम

1– हरिचरण सिंह तनय स्व0 सीताराम सिंह निवासी सगौनी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

2– रामकली पुत्री स्व0 सीताराम सिंह पत्नी श्यामलाल सिंह साकिन खोखम तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ....**अनावेदकगण / गैरनिगराकारगण**

अधि० श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा पेश। 08-6-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

निगरानी विरूद्ध निर्णय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा लिंक कोर्ट सतना के राजस्व अपील क्रमांक 663अपील / 2014–15 पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0 13अपील / 2014–15 पारित आदेश दिनांक 23.06.2015 को मूलतः निरस्त करते हुए तहसीलदार तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0 24अ27 / 2007–08 पारित आदेश दिनांक 30.11.2013 यथावत रखे जाने बावत्।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

यह कि विवादित आराजी नं0 104 / 1 रकवा 1.16ए0, 133 / 1 रकवा 0.23ए0, 449 / 1क रकवा 0.79ए0, 295 रकवा 0.27ए0, 296 / 2 रकवा 0.28ए0, 136 / 1क रकवा 0.31ए0 कुल किता 6 जुमला रकवा 2.99ए0 स्थित मौजा सगौनी की आराजियातें हैं तथा आराजी नं0 11 / 683 / 1 रकवा 0.30ए0 स्थित मौजा तिवनी की आराजियात है, का बटवारा नामान्तरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र फर्द पुल्ली मुताबिक आवेदक / निगराकार द्वारा वर्ष 2007–08 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया

बाल्मीक सिंह

निग० 3597/2018/सतना/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर ... रीवा संभाग रीवा

(193)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग० 3597/2018/सतना/भू०रा० जिला— सतना

बाल्मीकि सिंह विरूद्ध हरिचरण सिंह

(1)	(2)	(3)
16.1.19.	1. आवेदक की ओर से श्री राघवेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 663/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 07.03.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 08.06.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

बाल्मीकि सिंह